DCTC-file
2/II/24

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित जिलास्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र कम्प्यूटर कौशल को विकसित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केन्द्रों पर बड़ी मात्रा में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनसे न केवल स्कूलों के छात्र-छात्राऐं अपितु कार्मिक भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इन कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों पर राजस्थान आजीविका मिशन एवं सिसको सहित विभिन्न एजेन्सियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 32 केन्द्र एक ही वेबसाईट से जुड़े हुए हैं।

जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के स्वरूप को देखते हुए इनकी अन्य कम्प्यूटर कौशल एजेन्सियों से सम्बद्धता भी आवश्यक है। अतः राजस्थान ज्ञान आयोग द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रमों से इन केन्द्रों को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इन दिनों नए केन्द्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुवे अपने जिले के जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को राजस्थान ज्ञान आयोग लिमिटेड (RKCL) से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें।

इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(भास्कर ए. सावन्त)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक- शिविरा/माध्य/मा/क.प्र./गयाविआ/वो.5/2008
दिनांक- 8/12/08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रबन्धक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि., 7A झालाना इन्सटीट्यूशनल एरिया, आर.टी.ओ. के पीछे, जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
4. प्रधानाचार्य एवं केन्द्राधीक्षक, जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र।